Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 25-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 20, 2017 (JYAISTHA 29, 1939 SAKA)

PART—I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

गृह–एम०सी०–II–शाखा

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2017

संख्या 3/60/2013 गृह–एम०सी०– II.– हरियाणा फोरेंसिक विवादित हरियाणा दस्तावेज परीक्षक सेवानियम, 2016 के नियम–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले हरियाणा फोरेंसिक परीक्षक विनियामक प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(i)	सचिव/विशेष सचिव, गृह विभाग	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, अभियोजन, हरियाणा	सदस्य
(iii)	निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा, मधुबन	सदस्य
(iv)	पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	सदस्य

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

(HOME-MC-II BRANCH)

Notification

The 5th June, 2017

No. 3/60/2013-Home-MC-II.— In exercise of the powers conferred vide rule 3 of the Haryana Forensic Questioned Document Examiner's Services Rules, 2016, the Governor of Haryana hereby constitutes the Haryana Forensic Documents Examiner Regulatory Authority consisting of the following:-

(i)	Secretary/Special Secretary, Home Department	Chairperson
(ii)	The Director Prosecution, Haryana	Member
(iii)	Director, Forensic Science Laboratory Haryana, Madhuban	Member
(iv)	Inspector General of Police (PHQ)	Member

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

55356—C.S.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

(गृह–II शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2016

क्रमांक 3/60/2013–4 एच.जी.II.— सिविल रिवीजन क्रमांक 3434 ऑफ 2013, चमकौर सिंह बनाम मिठु सिंह में पारित आदेश की पालना में, हरियाणा के राज्यपाल फौरेंसिक विवादित दस्तावेजों परीक्षक जो प्राईवेट विशेषज्ञ के रूप में इस क्षेत्र में अभ्यासरत हैं, की सेवाओं को समुचित संचार के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग

   (1) इन नियमों को हरियाणा फोरेंसिक विवादित दस्तावेजों के परीक्षक सेवा नियम, 2016 कहा जा सकता है।

   (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आ जाऐंगे।

   (3) ये नियम हरियाणा राज्य में सभी फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षकों पर लागू होगे।

2. **व्याख्या:–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित है:–

   (क) "प्राधिकरण" का अर्थ है कि इन नियमों के नियम 4 के तहत गठित हरियाणा फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक नियामक प्राधिकरण;

   (ख) "बोर्ड" का अर्थ है इन नियमों के नियम 8 के तहत नियुक्त विशेषज्ञों का बोर्ड;

   (ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है प्राधिकरण के अध्यक्ष;

   (घ) "फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" का अर्थ है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला/क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है;

   (च) "सदस्य" का अर्थ है प्राधिकरण का सदस्य ;

   (छ) "पंजीकरण" का अर्थ प्राधिकरण का विधिवत पंजीकरण;

   (ज) "राज्य" का अर्थ हरियाणा राज्य।

3. हरियाणा फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षक नियामक प्राधिकरण का गठन:– राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक बॉडी का गठन करेगी जो कि हरियाणा फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षक नियामक प्राधिकरण के रूप में जानी जायेगी।

4. प्रधिकरण के संरचना:–प्राधिकरण की रचना इस प्रकार से होगी:

   (1) सचिव/विशेष सचिव, गृह विभाग : चेयरमैन

   (2) निदेशक अभियोजन पक्ष, हरियाणा : सदस्य

   (3) निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन : सदस्य

   (4) पुलिस महापरीक्षक (पुलिस मुख्यालय) : सदस्य

5. पंजीकरण :– सभी फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षक जो प्रदेश में प्राईवेट विशेषज्ञ के में कार्यरत है, को स्वयं को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

6. पंजीकरण के लिए पात्रता एवं अनिवार्यता:– आवेदक को पंजीकरण करवाने के लिए इस प्रकार का होना चाहिए:–

   (क) वह अच्छे नैतिक चरित्र, उच्च अखंडता और अच्छी ख्याति का व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास उच्च नैतिकता और पेशेवरिता होनी चाहिए।

   (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फोरेंसिक सांइस में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त हो।

   (ग) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम दो वर्ष की अवधि का पूर्ण समय का परीक्षण उपलब्ध हो या फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक के रूप में कम से कम पांच साल का अभ्यास प्राप्त हो।

   (घ) तीन फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षको के नाम व पते जो पंजीकरण हेतु उसकी योग्यता को सत्यापित करे।

7. पंजीकरण और दंड:–पंजीकरण हेतु सामान्य प्रावधान:–(1) पंजीकरण के लिए सामान्य प्रावधान इस प्रकार से होगे:–

   (क) पंजीकरण के लिए स्वीकृति व इनकार करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित होगा।

(ख) पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए मान्य होगा और इसकी समाप्ति के बाद इसका नवीकरण अनिवार्य होगा।

(ग) पंजीकृत फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षकों की सूची का रख–रखाव राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना प्रौद्योगिक विभाग द्वारा किया जायेगा और समय–समय पर सूची को अपडेट किया जायेगा।

(घ) हर पंजीकृत फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट पर प्राधिकरण द्वारा जारी उसके वैध पंजीकरण नम्बर अंकित होना चाहिए।

(च) अगर कोई फोरेंसिक विवादित दस्तावेज परीक्षक मौलिक मूल्यों या पद की गरिमा या व्यावयायिक नियमों का उल्लंघन करता है और किसी माननीय अदालत ने उसके खिलाफ (कटु आलोचना) की गई है तो ऐसे फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक के खिलाफ कार्य करने की प्राधिकारण के पास पावर होगी और उक्त परीक्षक के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:–

1. लिखित फटकार ;
2. एक निश्चित अवधि के लिए पंजीकरण का निलंबन ; या
3. पंजीकरण का स्थायी रूप से रदद् करना।

8. विशेषज्ञों के बोर्ड की संरचना:– विवादित दस्तावेज विशेषज्ञों के परस्पर विरोधी निर्णय/रिपोर्ट पाए जाने पर, प्राधिकरण अपनी देखरेख मे तीन विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करेगा जिसके द्वारा दी गई रिपोर्ट सम्बन्धित (प्रतियोगी दल) पर लागू होगी । इस प्रकार के गठित बोर्ड के सदस्यों को ऐसे केसों में सरकार द्वारा तय कुल फीस दी जायेगी।

9. **व्याख्या**:– अगर उक्त नियामों को लागू करने या समझने में कोई प्रश्न उठता है तब ऐसे मामले को विचार हेतु सरकार के पास भेजा जायेगा।

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT
(HOME –II Branch)

Notification

The 24th August, 2016

No. 3/60/2013-4HG-II.— In compliance of the directions contained in order dated 29th October, 2013 passed in CR No. 3434 of 2013 titled as Chamkaur Singh *Vs.* Mithu Singh, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to regulate the services of forensic questioned documents examiners practising in the field as private experts in the State, namely:-

Short title, commencement and application.

1. (1) These rules may be called the Haryana Forensic Questioned Document Examiner's Services Rules, 2016.

(2) These shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

(3) These shall apply to all forensic documents examiners working as experts on full time basis in the State.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Authority" means the Haryana Forensic Documents Examiner Regulatory Authority constituted under rule 4 of these rules;

(b) "board" means a board of experts appointed under rule 8 of these rules;

(c) "Chairperson" means chairperson of the Authority;

(d) "Forensic Science Laboratory" means Forensic Science Laboratory/Regional Forensic Science Laboratory under the control of State Government;

(e) "member" means member of the Authority;

(f) "registration" means due registration with the Authority;

(h) "State" means the State of Haryana.

Constitution of Authority.

3. Constitution of Haryana Forensic Documents Examiner Regulatory Authority.- The State Government shall by notification constitute a body to be known as Haryana Forensic Documents Examiner Regulatory Authority.

4. The Authority shall consist of: Composition of Authority.

(i) Secretary/Special Secretary, Home Department. : Chairperson

(ii) The Director Prosecution, Haryana : Member

(iii) The Director, Forensic Science Laboratory, Madhuban. : Member

(iv) Inspector General of Police, (PHQ) : Member

5. All the forensic questioned documents examiners practising in the field as private experts in the State will get themselves registered with the Authority. Registration.

6. Qualification and requirements for registration as forensic document examiner.- (1) The applicant seeking registration must: Eligibility for Registration.

(a) be a person of good moral character, high integrity and good repute and must possess high ethical and professional standing;

(b) possess at least a science degree in forensic science from a recognized University or diploma in forensic science from a recognized University/Institute;

(c) have undergone full time training of at least two years duration in Forensic Science Laboratory or has been in practice for at least five years as forensic document examiner;

(d) submit as reference the names and addresses of three forensic document examiners attesting to his/her qualification for registration.

7. General provisions of registration.- (1) The general provisions for registration shall be as under:- Registration and penalties.

(a) The right to allow or deny registration shall be reserved with the Authority.

(b) The registration would be valid for a period of five years and after its expiry it renewal will be mandatory.

(c) The list of registered forensic document examiners would be maintained and updated periodically on website of State Government by Information Technology Department, Haryana.

(d) The report of every registered forensic document examiner must bear his /her valid registration number issued by the Authority.

(e) The Authority will have the power to take disciplinary action against the registered forensic documents examiner if he/she violates ethical or professional rules of conduct or competency or strictures have been passed against him /her by any Court of Law. The following disciplinary action could be taken in the case of violation of the aforesaid :-

(i) Written reprimand;

(ii) Suspension of registration for a specific period of time; or

(iii) Cancellation of registration permanently.

8. The Authority, in the event of conflicting opinions of experts would appoint a board of three experts under its supervision whose report would be binding on the contesting parties. The members of such board of experts would be paid a nominal fee for the examination of such case as decided by Government. Constitution of board of experts.

9. If any question arises as to the interpretation of these rules, the matter will be referred to the Government. Interpretation.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.